तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व वाद संख्या 32/2015 जीसीएमएम 2015/00186) (मैसर्स एमरी स्टोन मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी बनाम सरकार)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
30.09.2024	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को प्रतिवादीगण की तलबी हेतु प्रकरण दर्ज दिनांक 16.4.2015 से लगातार अवसर दिये गये। परन्तु वकील वादी प्रतिवादीगण की तलबी कराने में असमर्थ रहे। इसी प्रकार वकील वादी के बार–बार निवेदन पर दिनांक 15.07.2024 , 30.07.2024 तथा 05.09.2024 को भी प्रतिवादीगण की तलबी हेतु अवसर प्रदत्त किये गये है। परन्तु वकील वादी प्रतिवादीगण की तलबी कराने में असमर्थ रहे। अतः वकील वादी को प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 की तलबी हेतु सीपीसी प्रावधान के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदत्त किये जाने के उपरान्त भी प्रतिवादीगण की तलबी कराने में असमर्थ एवं असफल रहने पर वादी का वाद अधीन धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 5 के तहत न्यायालय आदेश की पालना नहीं किये जाने पर अदम तकमील में खारिज किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)	